

प्रेषक,

डा० पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13/दि०ज०स०वि०/लेखा/2020-21 दिनांक 05 अप्रैल, 2021, पत्र संख्या-14/दि०ज०स०वि०/लेखा/2020-21 दिनांक 05 अप्रैल, 2021 तथा पत्र संख्या-15/दि०ज०स०वि०/लेखा/2020-21 दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235(राजस्व) के अन्तर्गत कुल धनराशि रू० 86861.83 लाख (रूपये आठ अरब अड़सठ करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार मात्र), अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) और अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 1140.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख मात्र) की स्वीकृतियां निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-79

(धनराशि रू० लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
राजस्व पक्ष	
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	
01-वेतन	1557.93
02-मजदूरी	50.00
03-मॅहगाई भत्ता	467.38
04-यात्रा व्यय	11.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00
06-अन्य भत्ते	5.51
07-मानदेय	0.20
08-कार्यालय व्यय	40.00
09-विद्युत देय	55.00
10-जलकर/जलप्रभार	1.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	175.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	8.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	20.00
18-प्रकाशन	2.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.80
29-अनुरक्षण	2.00
42-अन्य व्यय	3.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	25.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00
51-वर्दी व्यय	0.50
55-मकान किराया भत्ता	116.02
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	210.00
योग 03	2854.34
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-04-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	
01-वेतन	122.85
02-मजदूरी	1.60
03-मॅहगाई भत्ता	36.86
04-यात्रा व्यय	0.35
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
06-अन्य भत्ते	2.31
07-मानदेय	1.00
08-कार्यालय व्यय	1.25
09-विद्युत देय	3.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.25

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13-टेलीफोन पर व्यय	1.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.10
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7.00
29-अनुरक्षण	10.00
39-औषधि तथा रसायन	0.70
41-भोजन व्यय	5.00
42-अन्य व्यय	2.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	7.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49-चिकित्सा व्यय	1.50
51-वर्दी व्यय	0.08
55-मकान किराया भत्ता	9.26
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00
योग 04	219.91
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिये सहायता (2235 02 101 05 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3500.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 06 00)	
01-वेतन	4.00
02-मजदूरी	0.01
03-मंहगाई भत्ता	1.20
04-यात्रा व्यय	0.15
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	2.00
09-विद्युत देय	8.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.60
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
39-औषधि तथा रसायन	3.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

41-भोजन व्यय	30.00
42-अन्य व्यय	3.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	8.00
55-मकान किराया भत्ता	0.01
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	85.00
योग 06	151.98
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (2235 02 101 07 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	67600.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार (2235 02 101 08 00)	
04-यात्रा व्यय	0.50
42-अन्य व्यय	12.00
योग 08	12.50
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति (2235 02 101 09 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-10-विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति (2235 02 101 10 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-12-डिस्ट्रेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण (2235 02 101 12 00)	
42-अन्य व्यय	20.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-13-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना (2235 02 101 13 00)	
42-अन्य व्यय	26.51
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन (2235 02 101 14 00)	
01-वेतन	1624.07
02-मजदूरी	22.00
03-महंगाई भत्ता	487.22

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

04-यात्रा व्यय	2.75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	29.73
07-मानदेय	5.00
08-कार्यालय व्यय	18.00
09-विद्युत देय	100.00
10-जलकर/जल प्रभार	2.70
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.50
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.15
18-प्रकाशन	1.15
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन	200.00
29-अनुरक्षण	200.00
39-औषधि तथा रसायन	2.90
42-अन्य व्यय	10.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	25.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.55
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	45.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
49-चिकित्सा व्यय	6.00
51-वर्दी व्यय	0.20
55-मकान किराया भत्ता	98.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	240.00
योग 14	3197.42
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 17 00)	
42-अन्य व्यय	4.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-18-"सिपडा" योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब-साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 18 00)	
42-अन्य व्यय	0.01
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-19-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 19 00)	
42-अन्य व्यय	20.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-22-लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना (2235 02 101 22 00)	
01-वेतन	1.61
03-मँहगाई भत्ता	0.48
06-अन्य भत्ते	0.02
08-कार्यालय व्यय	0.75
09-विद्युत देय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.10
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3.00
42-अन्य व्यय	2.00
55-मकान किराया भत्ता	0.30
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.40
योग 22	23.16
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	
04-यात्रा व्यय	0.20
07-मानदेय	20.00
08-कार्यालय व्यय	0.90
09-विद्युत देय	1.25
10-जलकर/जल प्रभार	0.04
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.30
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.60
42-अन्य व्यय	0.42
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.75
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.60

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.40
योग 25	30.96
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-26-अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	
04-यात्रा व्यय	0.01
09-विद्युत देय	4.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	5.00
29-अनुरक्षण	6.50
42-अन्य व्यय	3.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00
योग 26	49.11
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांग जन हेतु मनोविकास केन्द्र (2235 02 101 27 00)	
04-यात्रा व्यय	0.30
08-कार्यालय व्यय	0.30
09-विद्युत देय	0.75
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75
13-टेलीफोन पर व्यय	0.15
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.01
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4.00
42-अन्य व्यय	0.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.75
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00
योग 27	33.31
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-31-बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन (2235 02 101 31 00)	
09-विद्युत देय	6.77
39-औषधि तथा रसायन	1.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

41-भोजन व्यय	49.50
42-अन्य व्यय	810.00
योग 31	867.27
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-32-कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3900.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा (2235 02 101 34 00)	
42-अन्य व्यय	85.00
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-37-दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक से संबंधित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00)	
42-अन्य व्यय	2.35
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-03 शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार (2235 02 800 03 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	264.00
अनुदान संख्या-79 का योग	86861.83

(रूपये आठ अरब अड़सठ करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार मात्र)

अनुदान संख्या-81

(धनराशि ₹0 लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-05-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 796 05 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.00
अनुदान संख्या-81 योग	2.00

(रूपये दो लाख मात्र)

अनुदान संख्या-83

(धनराशि ₹0 लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 789 03 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	900.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08-शारीरिक रूप से अक्षम व्याक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता (2235 02 789 08 00)	
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	240.00
अनुदान संख्या-83 का योग	1140.00

(रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख मात्र)

- 2- उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायें और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 3- धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- 5- वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यावाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
डा0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
 - 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
 - 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
 - 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
 - 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।